न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02 / 2020 (उदयपुर आर्डर)

1. सोहनलाल पिता धनराज जी जन्नावत (ब्राहमण), निवासी गोगला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. पूनमचन्द पिता धनराज जी जन्नावत (ब्राहमण), निवासी गोगला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. जमनाशंकर पिता धनराज जी जन्नावत (ब्राहमण), निवासी गोगला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. देवीलाल पिता धनराज जी जन्नावत (ब्राहमण), निवासी गोगला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पुलिस उप अधीक्षक, वृत झाड़ोल, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी झाडोल राजस्व/आवंटन/2020/F-01/1067 दि0 16.04.20

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 10–01–2025**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल ने आदेश कमांक राजस्व/आवंटन/2020/F-01/1067 दिनांक 16–04–2020 से ग्राम गोगला, तहसील झाड़ोल की बिलानाम आराजी नंबर 3489 रकबा 0.6722 हैक्टर में से 0.2791 हैक्टर एवं आराजी नंबर 3616 / 3488 रकबा 0.0409 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजी, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं राजस्व ग्रुप–6 की अधिसूचना दिनांक 13–02–2001 के प्रावधानों के तहत 99 वर्ष की लीज पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पुलिस उप अधीक्षक वृत झाड़ोल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुक्ल आवंटित किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01–06–2020 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात का आवंटन अपीलान्टगण के पिता धन्ना जी को सन् 1967 को आवंटित की गयी थी तथा पट्टा फीस भी जमा करा दी गयी थी, किन्तु राजस्व रेकार्ड में खाते में नहीं दर्ज होकर बिलानाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा सन् 1965 से अपने पिता के समय से चला आ रहा है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण हितबद्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि बिलानाम होकर नियमानुसार आवंटन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, जिससे अपीलान्टगण का कोई संबंध नहीं है। अपीलान्टगण हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्टगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनके अवलोकन से अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात पर अपीलान्टगण का कब्जा सन् 1965 से अपने पिता के समय से चला आ रहा है तथा उक्त आराजियात का आवंटन अपीलान्टगण के पिता धन्ना जी को सन् 1967 को किया गयेा था तथा पट्टा फीस भी अपीलान्टगण के पिता द्वारा जमा करा दी गयी थी, किन्तु राजस्व रेकार्ड में खाते में नहीं दर्ज नहीं हो पायी एवं बिलानाम दर्ज हो गयी, जबकि कब्जा आज दिनांक तक अपीलान्टगण का ही चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो जाने से अपीलान्टगण के हक, अधिकार समाप्त [illegible] जाते हैं तथा अपीलान्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested

के कब्जे को नाजायज कब्जा नहीं माना जा सकता है, जैसाकि ए.आई.आर. 1994 सुप्रिम कोर्ट पेज 277 व 1496 में प्रतिपादित किया गया है। अपीलान्टगण ने लाखों रूपये खर्च कर भूमि को आबादान किया है तथा उनके द्वारा बराबर काश्त की जा रही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर कथित जमीन राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिलानाम आराजी का राजकीय कार्यालय हेतु आवंटन किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ लगान की रसीदें, पेनाल्टी रसीदें एवं धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस प्रस्तुत किये गये है। इसके अलावा अपीलान्टगण के पिता धनराज द्वारा पट्टा फीस भी जमा कराया जाना प्रकट होता है। तद्नुसार न्यायहित में अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता हम उचित समझत हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16–04–2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–03–2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 10–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:06 IST
Reason: SelfAttested